निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 51 / 2025
दायरा दिनांकः—23.06.2025
निर्णय दिनांकः— 31.10.25

उनवान

1. धनश्याम आयु 50 वर्ष पुत्र स्व0 श्यामलाल जाति ढीमर निवासी ग्राम तीतरखेडी
2. चंदा बाई आयु 55 वर्ष पुत्री स्व0 श्यामलाल जाति ढीमर निवासी ग्राम तीतरखेडी
3. कल्लु आयु 45 वर्ष पुत्र स्व0 श्यामलाल जाति ढीमर निवासी ग्राम तीतरखेडी
4. मुन्नी बाई आयु 80 वर्ष पत्नि स्व0 श्यामलाल जाति ढीमर निवासी ग्राम तीतरखेडी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनांम

1. केवल आयु 50 वर्ष पुत्र स्व0 जमनालाल जाति ढीमर निवासी ग्राम तीतरखेडी
2. शिवली आयु 48 वर्ष पुत्र स्व0 जमनालाल जाति ढीमर निवासी ग्राम तीतरखेडी
3. संतोष आयु 45 वर्ष पुत्र स्व0 जमनालाल जाति ढीमर निवासी ग्राम तीतरखेडी
4. फुला बाई आयु 53 वर्ष पत्नि जमनालाल जाति ढीमर निवासी ग्राम तीतरखेडी
5. कुसुमबाई आयु 58 वर्ष पुत्री स्व0 जमनालाल जाति ढीमर निवासी ग्राम तीतरखेडी
6. अनिता आयु 52 वर्ष पुत्री स्व0 जमनालाल जाति ढीमर निवासी ग्राम तीतरखेडी
7. रेखा आयु 51 वर्ष पुत्री स्व0 जमनालाल जाति ढीमर निवासी ग्राम तीतरखेडी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
8. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः— 31.10.25

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री भंवरसिंह जादौन — प्रार्थी
2. श्री राजेश लोधा — अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी क्रम 1 ता 7 के दादा भवानी की स्वंय के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 108 की खसरा संख्या 111 की रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा भूमि खसरा नम्बर 115 की रकबा 4 बीघा व भूमि खसरा संख्या 116/5 की रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, भूमि खसरा संख्या 158 की रकबा 0.06 बिस्वा. भूमि खसरा नम्बर 266 की रकबा 15 बिस्वा, भूमि खसरा नम्बर 350/7 की रकबा 5 बीघा कुल किता 06 की रकबा 13 बीघा 17 बिस्वा भूमि वाके माल तीतरखेड़ी तहसील छबड़ा, जिला बारां (राज०) में में स्थित थी जिसकी वर्तमान जमाबंदी

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

। पत्र के साथ सलग्न सम्वत् 2054 – 2057 है। प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी कम 1 ता 7 ादा भवानी ने अपने दोनों पुत्रों के बीच आपसी सहमति से वाद पत्र की मद संख्या 1 वर्णित भूमि का विभाजन अपने दोनों पुत्रों जमनालाल व श्यामलाल के मध्य कर दिया ा, ताकि उनके मरने के बाद उनके खाते की भूमि के बटवारे को लेकर दोनों पुत्रों में आपस में कोई विवाद न हो उनके द्वारा किये गए, विभाजन (विभाजन पत्र) के अनुसार प्रार्थीगण के पिता श्यामलाल के हिस्से में भूमि खसरा नम्बर 158 की रकबा 06 बिस्वा, भूमि खसरा नम्बर 266 की रकबा 15 बिस्वा. भूमि खसरा नम्बर 350/7 की रकबा 05 बीघा कुल किता 03 की रकबा 06 बीघा 11 बिस्वा, भूमि उनके हिस्से में आयी थी, जिस पर प्रार्थीगण के पिता श्यामलाल काबिज रहकर शांति पूर्वक काश्त करते चले आ रहे थे, तथा अप्रार्थीगण कम 1 ता 7 के पिता जमनालाल के हिस्से में भूमि खसरा संख्या 111 की रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, भूमि खसरा संख्या 115 की. रकबा 4 बीघा भूमि खसरा संख्या 116/5 की रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, भूमि आयी थी, उक्त बटवारे के पश्चात् से ही व अपने–अपने हिस्से पर काबिज रहकर शांतिपूर्वक काश्त करते चले आ रहे थे। प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण ता 7 के दादा का स्वर्गवास लगभग 7–8 वर्ष पूर्व हो चुका है, तथा उनके जीवनकाल में ही प्रार्थीगण के पिता श्यामलाल का स्वर्गवास लगभग 12 वर्ष पूर्व हो चुका है। जिनके प्रार्थीगण जायज वारिसान एवं कायम मुकामान है. तथा अप्रार्थीगण 1 ता 7 के पिता जमनालाल का स्वर्गवास अर्सा 4–5 वर्ष पूर्व हो चुका है, जिनके अप्रार्थी कम 1 ता 7 जायज वारिसान कायम मुकामान है, तथा उनके इनके अलावा अन्य कोई जायज वारिसान एवं कायम मुकामान नहीं है। सम्वत् 2066 – 2069 में मोतीपुरा चौकी तहसील छबड़ा में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने से प्रार्थीगण के पिता श्यामलाल तथा अप्रार्थीगण कम 1 ता 7 के पिता जमनालाल का शामलाती खाता होने के कारण उक्त थर्मल पावर प्लांट के लिए आवाप्त की गई भूमि में अप्रार्थीगण के पिता जमनालाल के हिस्से 1/2 की भूमि खसरा नम्बर 111 की रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा व भूमि खसरा नम्बर 115 की रकबा 04 बीघा एवं भूमि खसरा नम्बर 116/5 की रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा भूमि राज्य सरकार द्वारा थर्मल पांवर प्लांट के लिए आवाप्त कर ली गई। प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण ता 7 की शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि में से अप्रार्थी कम 1 ता 7 के पिता जमनालाल के हिस्से की सम्पूर्ण भूमि सम्वत् 2066 – 2069 में मोतीपुरा चौकी में राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा थर्मल पांवर प्लांट स्थापित करने के लिए वाके माल तीतरखेडी, तहसील छबड़ा की भूमि खसरा नम्बर 158 की रकबा 06 बिस्वा भूमिः खसरा नम्बर 266 की रकबा 15 बिस्वा, भूमि खसरा नम्बर 350/7 की रकबा 05 बीघा कुल किता 3 की रकबा 11 बिस्वा भूमि आवाप्त कर ली गई, तथा उस समय प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी कम 1 ता 7 के दादा भवानी जीवित होने से उक्त आवाप्त की गई, अप्रार्थीगण के पिता जमना के हिस्से की भूमि का चौक भवानी के नाम आया था, परन्तु अप्रार्थीगणो के पिता को प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण के दादा भवानी तथा अन्य सम्मानीत ग्रामीण पंचगण के समक्ष बटवारा नामा का एक स्टाम्प लिखकर अप्रार्थीगण के पिता द्वारा दिया गया था. जिसमें अप्रार्थीगण के पिता द्वारा यह लिखा गया था, कि थर्मल पावर प्लांट द्वारा मेरे हिस्से की भूमि आवाप्त की गई है. जिसके मुआवजे राशि का चैक मैने प्राप्त कर लिया है, तथा शेष बची भूमि मेरे श्यामलाल के हिस्से की है. जिस पर उस के वारिसान काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है, तथा यह जब कभी भी उनके हिस्से की भूमि उनके नाम रजिस्ट्री कराने को कहेंगे, तो मैं उनके पक्ष में रजिस्ट्री करा दूगां तथा उनके हिस्से की भूमि पर कभी कोई दावा झगड़ा नहीं करूगा,

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

मेरे मरने के बाद मेरे वारिसान उक्त भूमि के सम्बध में कोई वाद–विवाद दावा–झगड़ा करेगे। प्रार्थीगण अपने पिता श्यामलाल के हिस्से की भूमि खाता संख्या 104 की सरा नम्बर 158 की रकबा 0.0759 हैक्टयर भूमि खसरा नम्बर 266 की रकबा 0.1897 क्टयर भूमि खसरा नम्बर 350/7 की रकबा 12646 हेक्टयर कुल किता 3 की रकबा 1. 5301 हैक्टयर वाके माल तीतरखेड़ी तहसील छबड़ा, जिला बारां गत्त कहीं वर्षो से काबिज रहकर शांति पूर्वक काश्त करते चले आ रहे है, परन्तु वर्तमान में उक्त भूमि का अधिक ऊपजाउपन देखकर अप्रार्थीगण के मन में बद्धयांति आ गई है. तथा वह अवैधानिक गैरकानूनी तरीके से प्रार्थीगण को उनके हिस्से की भूमि पर से बेदखल कर कब्जा करने पर उतारू है, जिसका की उन्है. कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 में वर्णित भूमि के अपने जिस हिस्से की भूमि पर वह काबिज है, तथा जिस पर वह गत् कई वर्षो से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है. उस पर अप्रार्थी कम 1 ता 7 अवैध रूप से बांधा व व्यवधान उत्पन्न कर प्रार्थीगण को शांति पूर्वक काश्त नहीं करने दे रहे है. और जबरन बल पूर्वक प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि को छुड़ाना चाहते है. इसलिए प्रार्थी उक्त विवादित आराजी में अपने हिस्से की भूमि के शांति पूर्वक कब्जे कोश्त में बांधा उत्पन्न न करने बाबत् अप्रार्थीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के वैधानिक अधिकारी है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जयें सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से राजेश लोधा एडवोकेट का वकालतनामा पेश हुआ। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश करना नही चाहतें है। जवाब अप्रार्थी बन्द किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में जमाबन्दी ग्राम तीतरखेडी सम्वत् 2076–79 संख्या 104 नकल जमाबन्दी ग्राम तीतरखेडी सम्वत् 2050–53 नकल जमाबन्दी ग्राम तीतरखेडी सम्वत् 2037–40 नकल जमाबन्दी ग्राम तीतरखेडी सम्वत् 2046–49 नकल जमाबन्दी ग्राम तीतरखेडी सम्वत् 2054–57 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2046–49 नकल जमाबन्दी ग्राम तीतरखेडी 2066–69 खाता सख्या 152 फोटो काफी इकरारनामा दिनांक 03.12.2007 पेश किया गया।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के दादा भवानी की स्वंय के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की वाके माल तीतरखेडी तहसील छबडा में स्थित है। खोतदार दादा भवानी द्वारा अपने दोनो पुत्रों के मध्य आपसी सहमति से विवादित भूमि का जमनालाल व श्यामलाल मध्य विभाजन कर दिया था। जिससे उनके मरने के बाद भूमि के बटवारें को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो प्रार्थीगण के दादा भवानी द्वारा किये गये विभाजन के अनुसार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काश्त करतें चले आ रहे है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के दादा भवानी का स्वर्गवास 7–8 वर्ष पूर्व हो चुका है। तथा प्रार्थी के पिता श्यामलाल का स्वर्गवास लगभग 12 वर्ष पूर्व हो चुका है। तथा अप्रार्थीगण के पिता का स्वर्गवास लगभग 4–5 वर्ष पूर्व हो चुका है। मोतीपुरा चौकी में थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने के लिए अप्रार्थीगण के पिता के हिस्से 1/2 की भूमि खसरा नम्बर 115,116/5 राज्य सरकार द्वारा थर्मल पांवर प्लान्ट के लिए अवाप्त कर ली गई जिसका मुआवजा प्राप्त करने के लिए अप्रार्थीगण के पिता द्वारा स्टाम्प लिखकर दिया की मुआवजा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

चैक मैने प्राप्त कर लिया है अप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहतें ।था प्रार्थीगण की भूमि को छुडाना चाहतें है। अप्रार्थीगण को भूमि से बेदखल कर कब्जा रने पर आमादा है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पूर्वज दादा भवानी के खातेदारी की थी। उक्त भूमि में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का 1/2, 1/2 हिस्सा है थर्मल पांवर प्लान्ट में अवाप्त की गई भूमि को मुआवजा दादा भवानी द्वारा लिया गया था उस समय भूमि दादा भवानी के खातेदारी में थी। अप्रार्थीगण भूमि का मुआवजा नही लिया गया। दादा भवानी द्वारा दोनो पुत्र जमनालाल व श्यामलाल को आधा आधा दिया था। प्रार्थीगण के पिता के मरने के बाद प्रार्थीगण के मन मे बदनियती आ जाने के कारण प्रार्थीगण द्वारा प्रतिवादीगण की जमीन हडपने के लिए यह दावा पेश किया है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का विवादित आराजी पर 1/2, 1/2 हिस्से पर कब्जा काश्त चला आ रहा है प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की भूमि हडपना चाहतें है। एवं अप्रार्थीगण को बेदखल कर कब्जा करना च खातेदारी अधिकार प्राप्त करना चाहतें है। जो प्रार्थीगण को दिया जाना सम्भव नही है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मन गढन्त व कुट रचित तरीके से पेश किया है। जो खारिज फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम तीतरखेडी सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 104 में भवानी पुत्र पन्ना का नाम बतौर खातेदार दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम तीतरखेडी सम्वत् 2054–57 खाता संख्या 108 में भवानी पुत्र पन्ना जाति ढीमर सा0देह का नाम बतौर खातेदार दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम तीतरखेडी सम्वत् 2037–40 सम्वत् 2046–49 में भवानी पुत्र पन्ना जाति ढीमर बतौर खातेदार दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम तीतरखेडी सम्वत् 2066–69 खाता संख्या 152 में राजस्थान राज्य विघुत उत्पादन निगम लि0 जयपुर (थर्मल पांवर प्लान्ट) के नाम दर्ज है दिनांक 03.10.2007 को लिखा गया स्टाम्प के अनुसार जमनालाल पुत्र भवानी ढीमर द्वारा फर्टीलाईजर में जमीन जाने के पूरे पैसा ले चुका है। मेरा डोकरा मरने के बाद उक्त हिस्से में मेरा कोई उज्र लही होगा यह जब कहेगा में इनके नाम रजिस्ट्री करा दुगां। प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड से यह स्पष्ट होता है कि विवादित आराजी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पूर्वज भवानी के खातेदारी की थी। जिसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का 1/2, 1/2 हिस्सा था। कुछ भूमि थर्मल पांवर प्लान्ट को आवप्त की गई जिसका पैसा अप्रार्थीगण के पिता जमनालाल द्वारा प्राप्त किया गया यह दिनांक 03.12.2007 को लिखा गया स्टाम्प से होता है अप्रार्थीगण द्वारा भूमि की रजिस्ट्री नही कराने पर यह विवाद उत्पन्न हुआ। प्रस्तुत लिखित स्टाम्प से यह साबित होता है कि थर्मल पांवर प्लान्ट में अवाप्त भूमि का मुआवजा अप्रार्थी के पिता जमनालाल को दिया गया। अप्रार्थीगण की आराजी जो अप्रार्थीगण के पिता के हिस्से में आई थी वह खसरा नम्बर 111,115,116/5 आवप्त की जा चुकी है। एवं उसका मुआवजा अप्राथीगण के पिता द्वारा प्राप्त किया जा चुका है इसलिए प्रार्थीगण अपना हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है प्रथम दृष्टया प्रार्थना पत्र प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। यदि विवादित आराजी से प्रार्थीगण को बेदखल कर कब्जा अप्रार्थीगण द्वारा कर लिया तो प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है अप्रार्थीगण को मूल वाद के निर्णय तक जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है। कि विवादित आराजी वाके ग्राम तीतरखेडी तहसील छबडा के खसरा नम्बर 158 रकबा 0.0759 है0 खसरा नम्बर 266 रकबा 0.1897 है0 खसरा नम्बर 350/7 रकबा 1.2646 है0 पर मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा